महत्वपूर्ण एवं खास

अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की मौत

रायपुर (आरएनएस)। ग्राम रसनी के राजा ढाबा के पास अज्ञात वाहन युवक को रौंद दिया। जिससे युवक की मौत हो गई। मामले में आरंग पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक राकेश वर्मा 22 वर्ष ग्राम साहू पारा आरंग का रहने वाला था। बताया जाता है कि ग्राम रसनी के राजा ढाबा के पास अज्ञात वाहन ने राकेश को रौंद दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में आरंग पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

ड्यूटी के दौरान युवक की पिटाई मामले में दो एएसआई निलंबित

कोरबा (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने दो सहायक उप-निरीक्षकों (एएसआई) को निलंबित कर दिया है, जो दीपका थाने में तैनात थे। एएसआई जितेश सिंह और खगेश राठौर पर आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी के दौरान एक युवक की पिटाई की थी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने दोनों एएसआई को निलंबित कर दिया. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय रक्षित केंद्र, कोरबा रहेगा और उन्हें नियमानुसार अनुषांगिक भत्ते प्राप्त होंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह की घटनाएं पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करती हैं और ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ट्रेलर-ट्रक में भिड़ंत: ड्राइवर फंसा केबिन में

कोरबा (आरएनएस)। कटघोरा से अम्बिकार नेशनल हाइवे 130 में गत देर रात तानाखार के बरपाली के पास एक ट्रेलर, दूसरे ट्रेलर को टक्कर मारते हुए विपरीत दिशा से तेज रफ्तार आ रहे ट्रक से जा भिड़ा, ट्रेलर और ट्रक में भिड़ंत इतनी जोरदार रही कि दोनों वाहनों का केबिन चकनाचूर हो गया। इस भीषण सडक़ हादसे में ट्रेलर ड्राइवर के कमर का हिसा केबिन में फंस गया। घटना की सूचना कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी को मिलते ही वे दलबल के साथ तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। जहां घायल ड्राइवर को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया । बुरी तरह घायल ड्राइवर को डायल 112 की मदद से कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जहां घायल ड्राइवर का इलाज जारी है। इस घटना के बाद नेशनल हाइवे मार्ग में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गयी। पुलिस की तत्परता से दुर्घटना ग्रस्त वाहनों को किनारे कर जाम को खाली कराया जा रहा।

उफनती नदी को पार करने के चक्कर में चाचा-भतीजे की मौत

बलरामपुर-रायपुर (आरएनएस)। जिले में नदी पार करते वक्त चाचा-भतीजा तेज बहाव में बह गए। लालसाय (50) और प्रभु (39) दोनों रविवार को काम से पस्ता गए थे। वापस लौटते वक्त जलस्तर काफी बढ़ गया था। दोनों का अभी पता नहीं चल पाया है। पस्ता थाना क्षेत्र की चिलमा गांव की ये घटना है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश में जुटी है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से सभी नदी-नाले उफान पर हैं। छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने सूरजपुर, बलरामपुर में ऑरेंज अलर्ट और सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़- चिरमिरी, रायगढ़, कोरबा में यलो अलर्ट जारी किया है। यहां भारी बारिश हो सकती है। ह्म्द्ब1द्रह्य् मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। जिसके असर से एक गहरा अवदाब एक दबाव के रूप में झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में 17 सितंबर तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी।

दुबई से संचालित हो रहे इन्वेस्टमेंट स्कैम गिरोह को पकड़ने में बस्तर पुलिस की लगातार दूसरी बड़ी सफलता

जगदलपुर | आरएनएस

पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। साइबर क्राइम के बढते मामलों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर एवं उप पुलिस अधीक्षक, नोडल सायबर सेल गीतिका साहू के पर्यवेक्षण में विशेष रूचि लेकर साइबर क्राइम को रोकने एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज सायबर अपराध के एक प्रकरण जिसमें इनवेस्टमेंट के लिये एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर धनराशि डिपाजिट कर कभी भी निकाल पाने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपियो पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है।

ज्ञात हो कि दिनांक 24.05.2024 से 23.06.2024 के मध्य प्रार्थी सेतराम साहू पिता बिसौहा राम साहू नि0 कुम्हारपारा जगदलपुर, फेसबुक में विज्ञापन के द्वारा एक वाट्सअप ग्रुप जिसका नाम जुड़ गए। जुडने के बाद स्टॉक मार्केटिंग में पैसे लगाकर हाई रिटर्न देने का वादा कर, पैसे कभी भी निकाल पाने की बात कहकर मोबाईल एप्लीकेशन ञ्जक्क्त्र रूस्न डाउनलोड करके अपना अकाउंट क्रिएट करने कहा गया तथा इस एप्लीकेशन के माध्यम से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने प्रेरित किया गया और विभिन्न ट्रांजेक्शन

के माध्यम से प्रार्थी के बैक अकांउट से कुल 26,30,000 रूपये का फर्जी निवेश करा कर ठगी किया गया है। ठगी के संबंध में प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में ठगी (धारा 420 भादवि. 66-डी आईटीएक्ट) का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। दौरान अनुसंधान के मामले में आरोपी के बैंक खातो के विश्लेषण एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही के उपस्थिति की जानकारी गुजरात में मिलने पर निरीक्षक गौरव तिवारी, रवींद्र मण्डवी एवं उपनिरीक्षक अमित सिदार के नेतृत्व में टीम गठित कर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा सुरत गुजरात पहुंचकर खाता धारक शियाणिया यज्ञेष प्रवीण भाई, डोयरिया महेन्द्र भीखू भाई, घनश्यामभाई भगवान भाई नरोला एवं अजगिया अभिषेक जयंती भाई को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम छत्तीसगढ राज्य में दुर्ग भिलाई एवं बस्तर में प्रार्थियो से कुल 2,39,20,657 रूपये का ठगी करना एवं ठगी के आरोपियो का बडा नेटवर्क/सिंडीकेट काम करना जिसका संबंध *दुबई* होना बताते हुए सभी ने अपराध करना स्वीकार किया है। मामले के सभी आरोपियो को गुजरात के सूरत , जामनगर,अहमदाबाद से गिरफ्तार कर, ट्रांजिस्ट रिमांड पर जगदलपुर लाया गया जिन्हे रिमांड पर न्यायालय भेजा जा रहा है। उक्त प्रकरण में आरोपियों के कथन और साक्ष्य के आधार पर अभी भी गुजरात में टीम के द्वारा कैम्प कर गिरोह के अन्य आरोपियों के पतासाजी एवं गिरफ़्तारी की कार्यवाही की जा रही है। मामले के मास्टर माइंड जिसका दुबई में होना बताया जा रहा है एवं आरोपी अभिषेक दुबई जाकर सिंडिकेट के किंगपिन *निखिल पनसरिया* से मिलना स्वीकार किया है तथा उसके कहने पर रक़म को उसके बताये अनुसार देना स्वीकार किया हैं,के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र कर लुक आउट सर्कुलर की प्रक्रिया की जा रही है , साथ ही मामले में उपयोग हुए बैंक खातों और उसमे उपलब्ध धन को फ्रीज़ कराने की कार्यवाही भी की जा रही है। उक्त प्रकरण में उपयोग में लाये गए बैंक खातों और मोबाइल नंबर के विरूद्ध 60 से भी अधिक ऑनलाइन शिकायत जिनमें ठगी की धनराशि लगभग 6 करोड़ है ,दर्ज हैं। उक्त संबंध में देश के विभिन्न राज्यों सहित दुर्ग ज़िले में सुपेला थाना में 2.40 करोड़ की ठगी की एफआईआर है जिस संबंध में जानकारी भेजी जा रही है।

मोडस ऑपरेंडी:- प्रार्थी से सोशल मीडिया में आकर्षक निवेश विज्ञापनों के माध्यम से संपर्क कर निवेश से जुड़े ग्रुप में मुनाफ़े की फर्जी जानकारी देकर फाइल के माध्यम से फर्जी डिमैट खाता खुलवाना और अधिक धनराशि निवेश करने हेतु प्रेरित करना है। निवेश हो जाने के कुछ समय तक मुनाफा दिखाकर प्रार्थी को धन आहरीत नहीं करने देकर ठगी करना है।

जूटमिल पुलिस ने बेंगलुरु से गुमशुदा बालिका को किया दस्तयाब

पुलिस ने बालिका को भगा ले जाने वाले युवक को पॉक्सो एक्ट में भेजा रिमांड पर

रायगढ़

जिले के जूटमिल क्षेत्र से गुम हुई बालिका को जूटमिल पुलिस ने बेंगलुरु से दस्तयाब कर वापस रायगढ़ लाया। 24 वर्षीय युवक राजकुमार उरांव बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया था।

मामले का विवरण:

जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ निवासी बालिका के पिता ने 3 मार्च 2024 को जूटमिल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, रिपोर्ट के अनुसार, बालिका रिश्तेदारी में जूटमिल क्षेत्र गई हुई थी। 29 फरवरी 2024 को रिश्तेदारों ने उसे घर जाने के लिए कोड़ातराई से बस में बिठा दिया था, लेकिन वह शाम तक घर नहीं पहुंची। जब उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो वह बंद मिला। रिश्तेदारों और अन्य स्थानों पर पता करने पर भी महिला का कोई पता नहीं चल सका।

पुलिस की कार्रवाई :

बालिका के पिता की रिपोर्ट के आधार पर जूटमिल थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ अप.क्र. 105/2024 धारा 363 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान, महिला के परिजन और सहेलियों से पूछताछ की गई। टीआई जूटमिल मोहन भारद्वाज ने महिला के सोशल मीडिया अकाउंट्स और मोबाइल नंबर की जांच की, जिसमें पता चला कि वह बेंगलुरु के गुट्टाहल्ली मुलबागल में थी।

बेंगलुरु में पुलिस की सघन पतासाजी :

पुलिस अधीक्षक से अनुमति प्राप्त कर जूटमिल पुलिस की एक टीम को बेंगलुरु भेजा गया। वहां गुम बालिका और संदिग्ध राजकुमार की सघन पतासाजी की गई। 13 सितंबर 2024 को संदिग्ध राजकुमार को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि बालिका उसके साथ है। बालिका को दस्तयाब कर रायगढ़ लाया गया। बालिका अधिकारी ने उसका विधिवत बयान लिया, जिसमें बालिका ने बताया कि राजकुमार उसे शादी का झांसा देकर बेंगलुरु ले गया था। जहां शारीरिक संबंध बनाया। प्रकरण में धारा 366, 376(2)(D) आईपीसी, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया और पीड़िता और अभियुक्त का मेडिकल जांच कराया गया। आरोपी राजकुमार उरांव (27 साल) जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कृत्य पर आज उसे गिरफ्तार का न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, सीएसपी आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन पर गुम बालिका की पतासाजी और आरोपित की गिरफ्तारी में निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक रामनाथ बनर्जी, दिलदार कुरैशी, आरक्षक नरेश रजक और महिला आरक्षक देव कुमारी भारते की अहम भूमिका रही जिन्होंने बालिका की सुरक्षित दस्तयाबी और आरोपी की गिरफ्तारी से यह मामला सुलझया।

गजराज के आतंक से कई गांवों में दहशत

कोरबा-रायपुर | आरएनएस

जिले के कटघोरा वनमंडल में गजराजों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात झुंड से अलग हुए एक दंतैल हाथी ने यहां के पसान रेंज के अड़सरा बीट अंतर्गत बरबटपारा नामक गांव में पहुंचकर उत्पात मचाते हुए पांच मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया। जबकि तीन अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कटघोरा वन मंडल के केंदई रेंज में इन दिनों 48 हाथियों को दल विचरण कर रहा है। इस दल में शामिल एक दंतैल हाथी बीती रात झुण्ड से अलग हो गया और पसान रेंज के जलके सर्किल होते हुए अड़सरा में प्रवेश कर वहां के बरबटपारा में घर के बाहर बंधे विजय व वेद कुमार नामक दो ग्रामीणों के गाय व बैलों पर हमला कर दिया।

जिससे पांच की मौके पर ही मौत हो गयी। तीन अन्य मवेशी घायल हो गए। इसकी जानकारी पीड़ित ग्रामीणों द्वारा दिये जाने पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और मृत गौवंशों का पोस्टमार्टम कराया। घायल बैलों का उपचार भी कराया जा रहा। साथ ही प्रकरण तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया गया है। दंतैल का उत्पात इतने में ही नहीं थमा बल्कि पसान गांव में पहुंचकर खेतों में लगे फसल को रौंद डाला है।

हर दसवें दिन एक व्यक्ति की हो रही मौत, 4 साल में 790 ने गंवाई जान, सड़क पर अकाल मौत का बढ़ता जा रहा आंकड़ा

कोरबा (आरएनएस)। औद्योगिक नगरी कोरबा को हादसों का शहर कहना गलत नहीं होगा। शायद ही ऐसा कोई दिन होगा, जब जिले में सडक़ दुर्घटना की खबर सुर्खियों में ना रही हो। खासतौर पर कटघोरा-बिलासपुर, कटघोरा-अंबिकापुर नेशनल हाइवे और कोरबा-चांपा मार्ग पर कई ब्लैक स्पॉट हैं। यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। जिले में 1340 दिनों में 1593 सडक़ दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 790 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में सडक़ हादसों में होने वाले मौत का आंकड़ा डराने वाला है। औसतन हर दसवें दिन एक व्यक्ति की मौत हो रही है। यही कारण है कि सडक़ हादसों में मृत्युदर कम करने के लिए कोरबा पुलिस नया प्रयोग कर रही है। जिले के डेंजर सडक़ो पर मार्गमित्रों की नियुक्ति की जा रही है, जो बिना किसी डर के सडक़ दुर्घटना की सूचना पुलिस को देने के साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम करेंगे। बीते 4 साल में 790 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले चार साल के आंकड़ों पर गौर करें तो सडक़ दुर्घटना में होनेवाले मृत्युदर में लगातार इजाफा हुआ है। कोरबा पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों की मानें तो साल 2021 में सडक़ हादसे के शिकार 136 लोगों की मौत हुई थी। साल 2022 में मौत का आंकड़ा बढक़र 193 तक पहुंच गया। साल 2023 में 214 लोगो की जान गई. साल 2024 में 8 महीने के भीतर ही अब तक 247 लोग असमय मौत के मुंह में समा चुके हैं। एक साल में सडक़ हादसों में मृत्यु दर में 15 फीसद बढ़ी है। बढ़ते मृत्युदर पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अब मार्गमित्र की मदद ले रही है। जिले की परिधि में इसमें 26 समितियां बनाई गई है, जहां 107 मार्ग मित्र बनाए जा चुके हैं।

मोटर सायकल से महुआ शराब की तस्करी करते दो आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 20 लीटर महुआ शराब और मोटरसाइकिल जब्त

रायगढ़

घरघोड़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कंचनपुर तिराहा के पास अवैध महुआ शराब की तस्करी करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाना प्रभारी घरघोड़ा, निरीक्षक अमित कुमार तिवारी के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम में सहायक उप निरीक्षक राजेश मिश्रा और अन्य स्टाफ शामिल थे।

पुलिस को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मोटर साइकिल पर महुआ शराब लेकर बहिरकेला की

ओर बिक्री हेतु जा रहे हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाकाबंदी की और संदिग्ध मोटर साइकिल (क्रमांक CG 13 AA 2876) को रोका। तलाशी के दौरान मोटर साइकिल पर रखे जरीकेन में 20 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 4,000 रुपये है। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपने नाम मनक राम सिदार, पिता राय सिंह सिदार (उम्र 28 वर्ष) और खुलेश्वर सिदार, पिता स्व. सत्यानंद सिदार (उम्र 32 वर्ष), दोनों निवासी फगुरम, बताया। दोनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 59(क) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर घरघोड़ा पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

प्रेम प्रसंग: युवक ने अपने दोस्त की बेरहमी से की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

कोरबा | आरएनएस

बालको थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने अपने दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना भदरापारा स्थित सीएसईबी राखड़ डैम के पास हुई। मृतक की पहचान भुनेश्वर जायसवाल (35) के रूप में हुई है।

घटना के बाद 15 तारीख की रात लगभग 2 से 3 बजे भुनेश्वर जायसवाल के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बालको थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खोजबीन शुरू की और भुनेश्वर के दोस्तों से पूछताछ की। साथ ही पुलिस ने भुनेश्वर की कॉल डिटेल्स और लास्ट लोकेशन का पता लगाया। भुनेश्वर और उसका दोस्त सतीश काठले घटना के दिन एक साथ देखे गए थे। इसी आधार पर पुलिस ने सतीश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सतीश ने पूछताछ में पूरी घटना का खुलासा किया। उसने बताया कि वह और भुनेश्वर लंबे समय से दोस्त थे, लेकिन भुनेश्वर का सतीश की पत्नी के साथ अवैध संबंध था, जिसे लेकर सतीश काफी परेशान था।

घटना वाले दिन, सतीश और भुनेश्वर राखड़ डैम के पास शराब पीने गए थे। शराब के नशे में सतीश ने भुनेश्वर से कहा कि वह उसकी पत्नी से दूर रहे। इस पर भुनेश्वर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे दे, और वह उसे अपने साथ रख लेगा। यह सुनकर सतीश का गुस्सा भडक़ गया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। भुनेश्वर ने पहले उसपर हमला करने की कोशिश की और चाकू निकाल लिया। लेकिन सतीश ने किसी तरह चाकू छीन लिया और गुस्से में आकर भुनेश्वर पर कई वार कर दिए। भुनेश्वर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद सतीश वहां से भाग गया और अपने घर के बाड़ी में छिप गया। पुलिस ने जब सतीश को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग-रायपुर | आरएनएस

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि जितेन्द्र सिंह वशिष्ट के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा स्वयं को स्टेंट बैंक भिलाई सेक्टर 01 में लोन डिपार्टमेंट का कर्मचारी बताकर आवेदक को लोन दिलाने के नाम पर दस्तावेज एवं 02 लाख रू लेकर आवेदक को होम फर्स्ट फायनेंस बैंक से 19,46,000 रू लोन आवेदक के बैक आफ बडोदा के खाते में जमा करवाकर, आवेदक से सिक्युरिटी बतौर 07 चेक बैंक ऑफ बडौदा लिया जिसमें से एक चेक लगाकर 10,00,000 रू अपने बैंक ऑफ बडौदा के खाते में जमा करा लिया और इस संबंध में पूछने पर रकम आज कल में वापस करने का झासा देकर फोन बंद कर कही अन्यंत्र परिवार सहित चला गया है । प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा लोन दिलाने के नाम पर 02 लाख रूपया एवं लोन दिलाने के बाद सिक्युरिटी के 01 चेक को बैक में लगाकर 10,00,000 रू अपने खाते में जमा कर आवेदक के साथ कुल 12,00,000 रू की छल पूर्वक धोखाधडी ठगी अपराध धारा 420 भादवि का पाये जाने से आरोपी अमित कुमार श्रीवास्तव के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला एवं वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया गया, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई सत्यप्रकाश तिवारी एवं थाना प्रभारी नेवई आनंद शुक्ला के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी की पता तलाश की जा रही थी कि आरोपी अमित श्रीवास्तव घटना के बाद से लगातार मोबाईल नंबर बंद कर फरार था आरोपी सतत निगाह रखी गई थी जो कुछ दिन नागपुर में रहा बाद वहां भी लोगों से कर्जा लेकर ऋषिकेश उत्तराखण्ड में होने की सूचना पर टीम रवाना किया जाकर आरोपी अमित कुमार श्रीवास्तव को पूछताछ हेतु थाना लाया गया आरोपी से पूछताछ कर मेमो0 कथन लिया गया जो अपराध घटित करना स्वीकार करना एवं प्राप्त रकम को खर्च करना बताने पर प्रकरण में धारा 409 भादवि जोडी गई। आरोपी का कृत्य धारा सदर का घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया । उक्त कार्यवाही मे निरीक्षण आनंद शुक्ला (थाना प्रभारी) सउनि रामचंद कंवर, आरक्षक भानुप्रताप यादव, लक्ष्मीनारायण, संतोष कोमा, छत्रपाल वर्मा, हेमषंकर, ओमप्रकाष श्रीवास, का विशेष योगदान रहा है। अपराध क्रमांक :- 186/2023 धारा अपराध क्रमांक 186/2023 धारा 420, 409 भादवि नाम आरोपी :- अमित श्रीवास्तव पिता स्व आनंद कुमार श्रीवास्तव उम्र 42 साल साकिन 20 बीगा गली नंबर 1 वीरभद्र रिषीकेश उत्तराखण्ड हरीश भटट किराये का मकान, पूर्व पता द्वितीय तल पूर्व आर्किट, तालपूरी बी ब्लाक में भिलाई जिला दुर्ग स्थायी पता सिंधया नगर मकान नंबर 222 हनुमान मंदिर के पीछे थाना मोहन नगर जिला दुर्ग।